FORM NO. 111

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय सहायक कलैक्टर फास्ट ट्रैक श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुशलदास बनाम् पटवारी हल्का आदि

किस्म मुकदमा :- इजराय

मुकदमा नम्बर 1 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.01.2024<br>[redacted] | वकील डिक्रीदार श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एडवोकेट ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्ट्रर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नही हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 22.01.2024 को पेश हो। | |
| 19.12.2024 | पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में श्री सांवरमल यादव, भू.अभिलेख निरीक्षक कार्यालय हाजा द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 25.09.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।<br><br>अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर [illegible] जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>( अनिल कुमार )<br>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) | ऑनलाइन जांच की गयी। नामां. सं. 409 दि 25.9.24 द्वारा नामान्तरण आदेश की पालना की गयी। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:35 IST
Reason: SelfAttested